बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 30.5.16

संख्या–18 / लो०शि०नि०–14–04 / 2016.....7691...... / बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुमंडल, जिला एवं विभाग स्तर पर स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित लोक सेवकों को तुरन्त के प्रभाव से अधिसूचित करती हैः–

(क). अनुमंडल स्तर

1	2	3
क्र० सं०	पद का नाम	विनिर्दिष्ट लोक सेवक
1.	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
3.	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	जिला पदाधिकारी
4.	पुनरीक्षण प्राधिकार	प्रमंडलीय आयुक्त

(ख) जिला स्तर

1	2	3
क्र० सं०	पद का नाम	विनिर्दिष्ट लोक सेवक
1.	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	प्रमंडलीय आयुक्त
3.	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	संबंधित विभागीय सचिव / प्रधान सचिव
4.	पुनरीक्षण प्राधिकार	विभागीय जाँच आयुक्त

(ग) विभाग स्तर

1	2	3
क्र० सं०	पद का नाम	विनिर्दिष्ट लोक सेवक
1.	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	संबंधित विभाग के उप सचिव (उप सचिव की अनुपलब्धता की स्थिति में अवर सचिव)
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव
3.	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	संबंधित विभागीय सचिव/प्रधान सचिव
4.	पुनरीक्षण प्राधिकार	विभागीय जाँच आयुक्त

2. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, परिवाद, अपील तथा पुनरीक्षण के विनिश्चय के लिए निम्नलिखित समय सीमा नियत करती हैः–

(i) परिवाद– 60 (साठ) दिन

(ii) प्रथम अपील– 60 (साठ) दिन

(iii) द्वितीय अपील– 60 (साठ) दिन

(iv) पुनरीक्षण– 60 (साठ) दिन

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अभिषेक सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–18/लो०शि०नि०–14–04/2016...7691../पटना, दिनांक– 30.5.16

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और उसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–18/लो०शि०नि०–14–04/2016...7691../पटना, दिनांक– 30.5.16

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/टी०सी०एस० कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव